



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56647

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1860/2026

कुमारी स्वाति

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: अभिषेक मयंक, अभिषेक श्रीवास्तव

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

1. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान एजीए को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया। विद्वान एजीए ने बताया कि विपक्षी संख्या 2 को नोटिस तामील कराया जा चुका है।

2. यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए (2) के तहत, विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (पी.ए.) अधिनियम, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 2.12.2025 को जमानत आवेदन संख्या 4330/2025 में पारित आक्षेपित आदेश को रद्द करने और उसे मुकदमा अपराध संख्या 251/2025, धारा 61 (2) बी.एन.एस. और धारा 3(2)(वी) एससी/एसटी अधिनियम, पुलिस स्टेशन- पाकबारा, जिला मुरादाबाद के तहत रिहा करने के लिए दायर की गई है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और विवेचना के दौरान उनका नाम सामने आया। अपीलकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ता ने कथित अपराध नहीं किया है। अपीलकर्ता का कथित घटना से कोई संबंध नहीं है। अपीलकर्ता के खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया है। अपीलकर्ता के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अपीलकर्ता के खिलाफ बीएनएस अधिनियम की

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



धारा 61 (2) और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) वी के तहत आरोप लगाया गया है। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि अपीलकर्ता के खिलाफ बीएनएस अधिनियम की कोई अन्य धारा नहीं जोड़ी गई है और इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध सिद्ध होता है। कथित घटना के समय अपीलकर्ता उपस्थित नहीं थी। अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अपीलकर्ता एक महिला है। अपीलकर्ता 26.9.2025 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार किया है और आक्षेपित आदेश सहित संपूर्ण रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता और सजा की गंभीरता को देखते हुए, न्यायालय का मत है कि अपीलकर्ता ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है।

7. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है।

8. उपरोक्त मामले में अभियोजित **कुमारी स्वाति** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

(ii) अपीलकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iv) अपीलकर्ता कोई अपराध नहीं करेगा।

(v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(vi) अपीलकर्ता प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(vii) जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो अपीलकर्ता साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(viii) अपीलकर्ता धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026

ए.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"